रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2019/फाल्गुन 7, 1940
No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019/PHALGUNA 7, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 148(अ).—स्थिर और गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 2016 का प्रारूप, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार, कतिपय नियमों में और संशोधन करने हेतु भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1110(अ), तारीख 13 नवम्बर 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 14 नवम्बर 2018 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें भारत के राजपत्र की, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 14 नवंबर 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के विषय में जनता से प्राप्त सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2019 होगा।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्थिर और गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 2016 में नियम 47 के, उप-नियम (1) में, “दाबपात्रों” शब्दो के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

“पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत प्ररूप XIV में अनुज्ञप्त सेवा स्थल में प्रतिष्ठापित प्ररूप एलएस -1ख में अनुज्ञप्ति,”

[फा. सं. 3(3)/2018-विस्फो]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1109(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2016 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 388(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2019

G.S.R. 148(E).— WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 were published as required by section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 14th November, 2018, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), number G.S.R. 1110 (E), dated the 13th November, 2018 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the said notification are made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 14th November, 2018;

AND WHEREAS, suggestion received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, in rule 47, in sub-rule-(1), after the words “pressure vessels”, the following shall be inserted, namely:-

   “, license in Form LS-1B installed in the service station licensed in Form XIV under the Petroleum Rules, 2002, ”.

[F. No. 3(3)/2018-Expl]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1109 (E), dated the 1st December, 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R 388(E), dated the 20th April, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.27 17:18:15 +05'30'